भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2128 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

भारतीय नौवहन रजिस्टर के कार्य

† 2128. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) एक सरकारी, निजी या सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था है;

(ख) क्या सरकार इसके कार्यकरण की निगरानी करती है और यदि हाँ, तो पिछले दस वर्षों के दौरान की गई समीक्षाओं या आकलनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आईआरएस को सौंपे गए विनियामक या वैधानिक कार्य क्या हैं और साथ ही संबंधित नियम या अधिसूचनाएँ क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्य वर्गीकरण सोसायटियों को समान भूमिकाओं से बाहर रखा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान आईआरएस के शासन या कार्यकरण के संबंध में हितधारकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (ङ): भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत अलाभकारी निकाय है और यह लागू कंपनी कानून के प्रावधानों द्वारा शासित है तथा यह अपने ही संस्था के बहिर्नियम और आंतरिक प्रशासनिक ढांचे के तहत कार्य करता है। आईआरएस वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत सर्वेक्षण एवं प्रमाणन कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त नौ संगठनों में से एक है। हाल में, आईआरएस के कार्यकरण के विरूद्ध चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर उचित कार्रवाई हेतु पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.3316(ई) दिनांक 26.12.2014 के तहत आईआरएस सहित नौ अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण सोसइटियों को, सांविधिक सर्वेक्षण करने और निम्नलिखित आईएमओ कन्वेंशनों/दस्तावेजों के तहत कार्गो पोतों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने या अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है:

1. समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, 1974 (एसओएलएएस-74)

2. जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, 1973/78 (एमएआरपीओएल-73/78)

3. पोतों के टनभार मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, 1969

4. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी संगत नियम, आदेश और अधिसूचनाएँ

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना एस. ओ 768(ई) दिनांक 07.11.1997 द्वारा आईआरएस को वाणिज्य पोत परिवहन (लोड लाइन) नियम, 1979 के तहत एकमात्र लोड लाइन असाइनिंग अथॉरिटी नियुक्त किया है, जो विशिष्ट रूप से केवल आईआरएस को किया गया प्रत्यायोजन है।

*****